

पत्रांक संख्या-

1909 / 12-1(2)

दिनांक 20 / 11 / 2019

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग,
श्रीनगर गु०-कीर्तिनगर।

विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा-बैजवाडी मोटर मार्ग के किमी० 04 से आगे बरसीला पोंथ मंजूली तक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/28766/2017)

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी-मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्र संख्या-8बी०/यू०सी०पी०/06/76/2018/एफ०सी०/1563, दिनांक-11.10.2019 एवं आपका पत्रांक संख्या-1704/33सी० दिनांक 19-11-2019।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित कमियो की निराकरण आख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। कृपया उक्त पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके बिन्दु संख्या-01 में उल्लेख किया गया है कि 'In reply to point no. 02, VLC proceeding of village Bainjwadi is still not corrected as the name of village Nakheri mentioned in para-3, it is seen from the para-B-2.3 of part-I that the forest land proposed for diversion is falls within jurisdiction of Banjwari ans poth villages. State Govt. may submit/upload the VLC meeting proceeding of both villages'. जिसके अनुपालन में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि "ऑनलाईन पार्ट-1 का अवलोकन करने पर कहीं भी ग्राम नैखरी अंकित नहीं है।" इस सम्बन्ध में आपको ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक-18.11.2019 से अवगत भी कराया गया, परन्तु अत्यंत खेद का विषय है कि आपके द्वारा पुनः विना किसी संशोधन के ही प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि प्रस्ताव में संलग्न एवं ऑनलाईन पार्ट-1 में अपलोड किये गये वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत ग्राम स्तरीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके पैरा-03 में ग्राम नैखरी का उल्लेख किया गया है।(संलग्न)

उक्त प्रमाण पत्र में कई गांवों का उल्लेख किया गया है, जिससे संशय की स्थिति उत्पन्न होती है, अतः भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम-बैजवाड़ी की VLC meeting proceeding के स्पष्ट अभिलेख इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त ग्राम-पौथ की केवल Attendance sheet ही उपलब्ध करायी गयी है, कृपया इस ग्राम-स्तरीय बैठक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

संख्या:- 1909 / 12-1(2) दिनांकित

प्रतिलिपि :- वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।